3/12/25

प्रतिवादी पक्ष की / वादी वकील अनुपस्थित है। तरमीमी वाद रद्द हेतु दिनांक नियत किया जाता है। वादी वकील एवं वादी का व्यवसायिक समय तक इन्तजार किया गया तथा एक घंटा कर आयोग लगायी गयी फिर भी वादी स्वयं व वादी वकील अनुपस्थित है जिससे प्रकरण को अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। अतः प्रकरण को अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

प्रकरण इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नस्ती के नस्ती हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर